

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष वोगारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हीरा देवी पति- फनीभूषण सिंह ग्राम- मखनाहा पो0- हरिपुर थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112601265591	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	डोमनी खातुन पति- मो0 सफीद ग्राम- भडारतल वार्ड 04 पो0- भडारतल थाना- बरारी जिला- कटिहार सीआर न0- 108112602232556	कैसर/ट्यूमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अल्ली अखतर पिता- अमिन मिया ग्राम- हरिनगर पो0- बनहौरा बाजार थाना- जगदीशपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112602021121	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	जयराम प्रसाद पिता- नन्द कुमार प्रसाद ग्राम- मोबारकपुर वार्ड 13 पो0- खरथुआ थाना- हरनौत जिला- नालदा सीआर न0- 108112601882310	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रहीम पिता- रियासत ग्राम- रामगज पो0+थाना- जोकीहाट जिला- अररिया सीआर न0- 108112602179132	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	उमरावती देवी पति- लालबाबू राम ग्राम- बैजूबरहोगा वार्ड 08 पो0- बैजूबरहोगा थाना- बसतपुर जिला- सिवान सीआर न0- 108112601255471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	दयाराम चाढ पिता- कुमत चाढ ग्राम- बोडारही पो0- चांदपुर भगहा थाना- जानकीनगर जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112300626954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	रेणु देवी पति- विष्णुदेव शाह ग्राम- बालाचक वार्ड 02 पो0- रामचुआ थाना- शभुगज जिला- बाका सीआर न0- 108112502247521	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	वसीमा खातून पति- वाहिद ग्राम- अनवर हाउस जमाल रोड वार्ड 28 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- कोतवाली जिला- पटना सीआर न0- 108112602134376	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	बुधु पासवान पिता- इद्रदेव पासवान ग्राम+पो0+थाना- लुटुआ जिला- गयाजी सीआर न0- 108112602003026	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	रीना देवी पति- अशोक पासवान ग्राम- खर्वा वासा वार्ड 07 पो0- रोहियामा थाना- बेलदौर जिला- खगडिया सीआर नं0- 108112601203366	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	सबेया खातून पति— सुलमान असारी ग्राम— खोरी पाकर तकिया पो0— चडरहिया थाना— हरसिद्धी जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न0— 108112601863714	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	लालझारी देवी पति— शिवचंद्र यादव ग्राम— चमुआ पो0— सैदपुर थाना— शिकारपुर जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न0— 108112300054730	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	शिला देवी पति— राजेश कुमार ग्राम— बेलहरी वार्ड 01 पो0— नचाप थाना— मुरार जिला— बक्सर सीआर न0— 108112300339726	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	प्रवीण कुमार परवाना पिता— सुरेश पासवान ग्राम— भोरहा वासा वार्ड 05 पो0+थाना— बेलदौर जिला— खगडिया सीआर न0— 108112501788766	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	उपेद्र यादव पिता— रामस्वरूप यादव ग्राम— खराटी खुर्द पो0— ओयना लाखापुर थाना— सिंगौरी जिला— पटना सीआर न0— 108112601831839	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	प्रतिमा देवी पति— बिनोद कुमार ठाकुर ग्राम— छिटाबाडी वार्ड 03 पो0— बेलवा कटिहार मिल थाना— कटिहार जिला— कटिहार सीआर न0— 108112400301858	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	सुमित्रा देवी पति— बिरेद्र यादव ग्राम— डिहुरी वार्ड 09 पो0— डिहुरी थाना— गोह जिला— औरंगाबाद सीआर न0— 108112601936908	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	सगीता देवी पति- उपेद्र राय ग्राम- दयालपुर सपहा वार्ड 09 पो0- दयालपुर गढ थाना- राजापाकर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112601988401	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	राकेश कुमार पाडेय पिता- बलिराम पाडेय ग्राम+पो0- दौलतगज थाना- भगवान बाजार जिला- सारण सीआर न0- 108112601956135	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	चद्रशीला देवी पति- अजीत कुमार ग्राम- रूपसपुर वार्ड 03 पो0- धनौत थाना- रूपसपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112601966203	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	उर्मिला देवी पति- राम अशोक गोसवामी ग्राम- अकुरी वार्ड 01 पो0- अकुरी थाना- पालीगज जिला- पटना सीआर न0- 108112601640227	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	दीप नारायण यादव पिता- भुवनेश्वर यादव ग्राम- मखदुमपुर वार्ड 11 पो0- पवई थाना- कोढा जिला- कटिहार सीआर न0- 108112601635207	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	शिव नारायण मडल पिता- भुलाई मडल ग्राम- भवानीपुर पो0- बेलही भवानीपुर थाना- लौकही जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112800230254	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	शम्भू राम पिता- महेन्द्र राम ग्राम+पो0- सतमलपुर थाना- वारिसनगर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112601935758	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	सजीत पासवान पिता- अशर्फी पासवान ग्राम+पो- खडतरी थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112602051870	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	शांति देवी पति- स्व0 चंद्रदेव चौधरी ग्राम- सनहा पश्चिम वार्ड 08 पो0- सनहा थाना- साहेबगज जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112601496011	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मीरा देवी पति- सुशील मिश्र ग्राम- खराजपुर वार्ड 12 पो0- खराजपुर थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112602028959	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	फिरोजा खातून पति- मो0 मुस्तकीम ग्राम+पो0- ब्रह्मपुरा थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112601529555	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	तुबा खातून पिता- रहमतुल्लाह ग्राम- सग्राम पो0- तुलापतगज थाना- अररिया सग्राम जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112601034963	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	रेखा देवी पति- सुरेश ठाकुर ग्राम+पो0+थाना- भीमनगर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112601317132	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	सोनू कुमार पिता- सुभाष मडल ग्राम- बोरारही वार्ड 03 पो0- नौलखी थाना- जानकीनगर जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112600097929	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	धनवती देवी पति- रणजीत सिंह ग्राम- इब्राहिमपुर वार्ड 09 पो0- हरपुर कराह थाना- बनियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112602042684	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	कला देवी पति- स्व0 संद्र कुमार मेहता ग्राम- बखरी वार्ड 04 पो0- नरसिगबिगहा थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112300146537	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	सुरेश ठाकुर पिता- दशरथ शर्मा ग्राम- समहुता वार्ड 08 पो0- समहुता थाना- कछवाँ जिला- रोहतास सीआर न0- 108112602073539	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	पूनम देवी पति- महेद्र दास ग्राम- हरपुर वार्ड 03 पो0- ककवारा थाना- बाका जिला- बाका सीआर न0- 108112601827874	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	शेख नुरुल पिता- ऐनुल ग्राम- इस्लामपुर वार्ड 02 पो0+थाना- प्रतापगज जिला- सुपौल सीआर न0- 108112602211125	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	नीलम देवी पति- उपेद्र प्रसाद ग्राम- मिर्जापुर वार्ड 06 पो0- पिताबरपुर थाना- कोकरी जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112400771676	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	बेचनी देवी पति- रामदेव दास ग्राम- मैना टोला सुक्की वार्ड 14 पो0- सुक्की थाना- खजौली जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112600876430	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	रानी खातून पिता— असगर अली ग्राम— पैगम्बरपुर वार्ड 01 पो0— कन्हौली मनोहर थाना— बनियापुर जिला— सारण सीआर न0— 108112401205992	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	राधा देवी पति— राजकिशोर राय ग्राम— बहुरार वार्ड 04 पो0— ददरी थाना— नानपुर जिला— सीतामढी सीआर न0— 108112602151475	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	विजय यादव पिता— पवितर यादव ग्राम+पो0— सोनपुरा थाना— बलवाहाट जिला— सहरसा सीआर न0— 108112300341542	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	कलावती देवी पति— राज कुमार राम ग्राम— कुशपर वार्ड 21 पो0— सोनागोपालपुर थाना— गौरीचक जिला— पटना सीआर न0— 108112300323684	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	बीबी मजलो पति— मो0 बसीर ग्राम— रामदत्तपट्टी वार्ड 13 पो0— नेमुआ थाना— सुपौल जिला— सुपौल सीआर न0— 108112602109720	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	मीना देवी पति— पुरसोतम सिंह ग्राम— मानुपर जहागीर वार्ड 15 पो0— मीरपुर जुआरा थाना— डोरीगज जिला— सारण सीआर न0— 108112501397805	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	गुजेशवरीनदन प्रसाद सिन्हा पिता— राजेद्र प्रसाद सिन्हा ग्राम— बाकरपुर वार्ड 08 पो0— बिशुनपुर सैद थाना— राजापाकर जिला— वैशाली सीआर न0— 108112600136142	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	मो० वहिद मसूरी पिता- सलामत मसूरी ग्राम- मछही वार्ड 08 पो०- मछही थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 108112600689425	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	अनवरी खातून पति- तसलीम दर्जी ग्राम+पो०- कमलदाह थाना- बथनाहा जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112601260301	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	राम किशोर राय पिता- भागीरथ राय ग्राम+पो०- बदा थाना- शिवजीनगर जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112601704144	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	कौशमी देवी पति- पप्पू चौधरी ग्राम- सलमपुर वार्ड 05 पो०+थाना- शोहसराय जिला- नालदा सीआर न०- 108112602188727	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	बिदिया कुमारी पिता- कलवत सिंह ग्राम- गगापुर लूटना टोला वार्ड 13 पो०- गगापुर थाना- रतवारा जिला- मधेपुरा सीआर न०- 108112602328766	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	उषा देवी पति- अजनी कुमार ग्राम- कुतुबपुरा वार्ड 14 पो०- भडारी थाना- रहुई जिला- नालदा सीआर न०- 108112300975053	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	कृष्णा सहनी पिता- लक्ष्मण सहनी ग्राम- देवरिया वार्ड 04 पो०+थाना- देवरिया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 108112601371901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	मनीर पिता- शेख अहमद ग्राम+पो0- सिसवनिया थाना- बजरिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112601926538	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	अविनाश कुमार पिता- सजय पंडित ग्राम- आदर्शन नगर लगौली वार्ड 16 पो0- तिलरथ थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600871021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	विजय कुमार सिंह पिता- नदजी सिंह ग्राम- छोटा सासाराम वार्ड 03 पो0- छोटा सासाराम थाना- उदवतनगर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112601994851	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	किरमिची यादव पिता- पचू यादव ग्राम- रब्बीवारी वार्ड 05 पो0- बदिया थाना- गोगरी जिला- खगडिया सीआर न0- 108112500090561	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	कुसमी देवी पति- लालबाबू महतो ग्राम- हनुमान नगर वार्ड 11 पो0- मनपर थाना- बेला जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112602328065	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	राजमगल साह पिता- लाल बिहारी साह ग्राम- गाजीपुर जयसिंहपुर वार्ड 06 पो0- डुमरी कटसरी थाना- श्यामपुर भटहॉ जिला- शिवहर सीआर न0- 108112601487356	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	उमेश साह पिता- भुदू साह ग्राम- भगवानपुर वार्ड 03 पो0- धबौली थाना- लाखो जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600766278	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	साजन कुमार पिता- मनोज यादव ग्राम- फुलवरिया वार्ड 07 पो0- बैजानी थाना- बाईपास जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112601636858	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	रमा शंकर साह पिता- भुवनेश्वर प्रसाद साह ग्राम- ताती बाजार रोड पो0- चम्पानगर थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112602175161	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	सुनीता देवी पति- शत्रोहन सिंह ग्राम- भवेपुर टोले इस्लामपुर वार्ड 08 पो0- भगवानपुर पीपराढी थाना- रीगा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112402469519	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	दुखन मडल पिता- बालेश्वर मडल ग्राम- गिदराही वार्ड 10 पो0- कटैया माहे थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर न0- 108112601837012	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	सम्मा खातून पति- नेहाल उद्दीन ग्राम- पामा पो0- महुआ बाजार थाना- बसनही जिला- सहरसा सीआर नं0- 108112601838493	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	राजा बाबू साह पिता- नागेन्द्र साह ग्राम- बलाही वार्ड 15 पो0- बलाही थाना- वारिसनगर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112503241021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	आरती कुमारी पिता- किशोर मडल ग्राम- नयाचक मखना पो0- बलुआचक थाना- जगदीशपुर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112502567186	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	किशन लाल ठाकुर पिता- देवी ठाकुर ग्राम- मलहरिया पो0- सौरा जाबर थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112600566660	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	बीबी नाजिया पिता- मो0 असलम ग्राम+पो0- बटुरबाडी थाना- ताराबाडी जिला- अररिया सीआर न0- 108112401949975	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	अमर कुमार सिंह पिता- सचिदानंद प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- हरगोविन्दपुर थाना- महनार जिला- वैशाली सीआर न0- 108112402268785	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	सरफून निशा पति- अली इमाम ग्राम- बहुआरा पो0- कृष्णवारा थाना- पातेपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112502270361	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	शबनम बेगम पति- मो0 शब्बीर हुसैन असारी ग्राम- मोपफरगज वार्ड 36 पो0+थाना- कटिहार जिला- कटिहार सीआर न0- 108112300872742	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	पवन यादव पिता- नरेश यादव ग्राम- लामटिया पो0- तेग्रा थाना- बेलहर जिला- बाका सीआर न0- 108112602149471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	रजिया देवी पति- रामचंदर राय ग्राम- लोदियाही वार्ड 09 पो0- लोदियाही थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600458352	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	दीपक भारती पति- सुधीर यादव ग्राम- चापर वार्ड 02 पो0- चापर थाना- रगरा जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112601192909	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	लाला चौहान पिता- रामशीष चौहान ग्राम- कन्हैयागज पो0- रूखाई थाना- चडी जिला- नालदा सीआर न0- 108112602118541	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	कमलदेव मेहता पिता- बजरगी मेहता ग्राम- लतराहा पो0- अमहा थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112601936657	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	लालमुनी देवी पति- अमर नाथ प्रसाद ग्राम- जैदपुर मोहल्ला पो0+थाना- पुपरी जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112600579028	हृदय रोग वीएसडी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	रघुवीर साह पिता- दुखा साह ग्राम- बसवरिया टोला वार्ड 25 पो0+थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112600549358	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
80	राज कुमार पिता- बबन प्रसाद ग्राम+पो0- बुढवल थाना- काराकाट जिला- रोहतास सीआर न0- 108112601885645	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	कुरैसा खातून पति- रूस्तम असाही ग्राम- बनबिरवा पो0- जसौली पट्टी थाना- कोटवा जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112300396517	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	नीलम देवी पति- स्व० अजीत सिंह ग्राम- बढमुआ पो०- बेला थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न०- 108112300756327	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	बलवत वर्मा पिता- स्व० लाल धारी वर्मा ग्राम- दिलावरपुर पो०- बिहटा थाना- आईआईटी जिला- पटना सीआर न०- 108112403785163	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	प्रभु राम पिता- अकलू राम ग्राम+पो०- पुनमा धरमपुर थाना- हथौडी जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112501218960	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	सरस्वती देवी पति- स्व० शम्भू मेहता ग्राम+पो०- रहरिया थाना- निर्मली जिला- सुपौल सीआर न०- 108112602031615	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	जिमदार राय पिता- जयमंगल राय ग्राम- बहरामपुर मदहा पो०- साइस्तापुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली सीआर न०- 108112602160148	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	सुनैना देवी पति- हरी प्रसाद ग्राम+पो०- छपरा बहास थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112502795456	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	मीना देवी पति- सरूग प्रसाद ग्राम- विष्णुपुर पो०- रानीपुर थाना- इस्लामपुर जिला- नालदा सीआर न०- 108112602608998	Right Knee Replacement	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			70,80,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 70,80,000/- (सत्तर लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना”खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को समायोजित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुकों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2603 (14)

पटना, दिनांक 23/9/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक .. .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित वीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लीलावती देवी पति- विनय सिंह ग्राम+पो०- पारथु थाना- पीपडा जिला- पटना सीआर न०- 109112601834050	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रमेश कुमार पिता- गनौरी महाराज ग्राम- माधोपुर पो०- रूकुनपुर थाना- दीदारगज जिला- पटना सीआर न०- 109112303025980	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000883.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड स० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2604(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजकुमारी देवी पति- पवित्र पासवान ग्राम- गाव अधरी पो०- पोस्ट मोकरमपुर थाना- भालपट्टी जिला- दरभंगा केस फाईल न०- 19एफ2026/001274	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	ललिता देवी पति- महेश महतो ग्राम+पो०- लौतन थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/005280	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शिवशंकर कुमार ठाकुर पिता- अमरनाथ ठाकुर ग्राम+पो०- भिररहा थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर केस फाईल न०- 19एफ2026/006210	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	रेखा देवी पति- लछमन पंडित ग्राम- सदुल्लहपुर पोखरौनी पो०- सदुल्लहपुर थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी केस फाईल न०- 19एफ2026/006306	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	भावना कुमारी पिता- वृजेश दुबे ग्राम- भलुअहिया पो0- आदापुर थाना- आदापुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/005276	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
6	ममता कुमारी पति- अमरनाथ पाडेय ग्राम- सकरी मन पो0- सकरी चांदपुरा थाना- हत्था जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/004245	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
7	मो0 मोबिन उद्दीन पिता- मो0 जाकिर उद्दीन ग्राम- हबीबपुर नियर हबीबपुर मस्जिद पो0+थाना- हबीबपुर जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/000918	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
8	नवल चौधरी पिता- राजेद्र चौधरी ग्राम+पो0- शिवदासपुर थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/005836	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
9	नाजनी खातून पति- सैफुल्लाह खालिद ग्राम- बीबी पाकर पो0- लालबाग थाना- लहेरिया सराय जिला- दरभंगा केस फाईल न0- 19एफ2025/006739	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
10	गणेश राय पिता- मगर राय ग्राम- बगाही पो0- मुस्तफापुर थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/003327	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
11	सजीत कुमार मांझी पिता- मदन मांझी ग्राम+पो0- बिशुनपुर बघनगरी थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/005802	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।

12	मुकेश पासवान पिता- गजाधर पासवान ग्राम- सोनार पो0- पोखरभिडा थाना- रीगा जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2026/004995	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	अशोक कुमार पिता- जागो यादव ग्राम- पताही पो0+थाना- छौडाही जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 19एफ2026/003471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सुशीला देवी पति- राज कुमार साह ग्राम+पो0- बरकागाव थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/006026	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	विजया देवी पति- नन्द किशोर महतो ग्राम- पियर उर्फ बिशुनपुर पो0+थाना- पियर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न- 19एफ2026/005315	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	किरण देवी पति- रामविलास यादव ग्राम- सग्रामपुर हेरुदियारा पो0- हेरुदियारा थाना- सफियासराय जिला- मुगेर केस फाईल न0- 11एफ2026/000212	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	राधिका कुमारी पिता- मजय राय ग्राम+पो0- चादपुरा थाना- राघोपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2026/006045	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	सलमान मिया पिता- अहमद मिया ग्राम- कोलवा घाट पो0- बैरिया थाना- श्रीनगर जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/005789	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	बिन्देश्वरी मडल पिता- मगो मडल ग्राम+पो0- बिबशनपुर जिच्छो थाना- लोदीपुर जिला- भगलपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/005595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

20	बैजती देवी पति- अभय सिंह ग्राम+पो0- जुडावनपुर करारी थाना- जुरावनपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2026/002440	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
21	उपेद्र राय पिता- रामाधार राय ग्राम+पो0- मुन्नी बैगरी थाना- हत्था जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/003463	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	जयमाला कुमारी पति- प्रदीप कुमार ग्राम- गणेशपुर पो0+थाना- गोपालपुर जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/004427	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	दिनेश चौधरी पिता- लक्ष्मी चौधरी ग्राम- मेन रोड पो0+थाना- बैरगनिया जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2023/000862	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	नमोनाथ मिश्रा पिता- लक्ष्मीकात मिश्रा ग्राम+पो0- चहुटा थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/005312	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	हिरामन राय पिता- रामयाद राय ग्राम+पो0- दरबा थाना- हलई जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/004421	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	जिलेबिया देवी पति- फोरस पडित ग्राम- सिसवा सब पो0- बहलोलपुर थाना- कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2024/002078	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	हफीजा खातून पति- मो0 रज्जाक ग्राम- तुर्कटोलिया पो0- बेनीबाद जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/004767	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

28	प्रदीप कुमार कुशवाहा पिता— रामप्रवेश प्रसाद कुशवाहा ग्राम— सरौगढ पो0— बेजनाथपुर थाना— चिरैया जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0— 11एफ2025/033811	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
			21,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 21,40,000/- (इक्कीस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0—TMC A/C HBCB and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम—“होमी भाभा कैसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर”, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम—RTGS/IFSC कोड स0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
- 7 आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

जापाक 2605 (14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	विजय कुमार दास पिता-अतुल दास ग्राम-दरगाह कोलनी पो०- पोखरिया थाना- सदर जिला- पूर्णिया एम०सी०एस- 10369434	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	किरण कुवर पति- दिलिप मिश्रा ग्राम- कृष्णा नगर बसवरिया वार्ड 24, पोस्ट- सीतामढी थाना- मेहसौल जिला- सीतामढी एम०सी०एस- 10369445	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मो० हमिद असारी पिता- मो० मोहम्मद ग्राम- नया हरिपुर पोस्ट- कटकैरा थाना कोईलवर जिला- भोजपुर एम०सी०एस- 10368904	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

4	मोजीबुर रहमान विता- मो० नौशाद ग्राम-हरि प्रसाद पो०- मनसाही थाना- मनसाही जिला- कटिहार एम०सी०एस-ई० 32113/ 10178006	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	मीना देवी पति- राघो महतो ग्राम- बखौरा टोला गगवा पो०- सिधवलिया थाना- सिधवलिया जिला गोपालगज एम०सी०एस- 10367405	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सराजुल मिया पिता- मोलजिम मिया ग्राम-बखरी पो०- लतिहनवा थाना-आदापुर जिला-पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस- 10367890	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	लव ठाकुर पिता- राम नन्दन ठाकुर ग्राम+पो०- रहीमपुर थाना- बिदुपुर जिला वैशाली एम०सी०एस- 10368792	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	धनजय कुमार पिता- नगीना महतो ग्राम-मीठेपुर बीनटोली पो०- गरखा थाना गरखा जिला- सारण एम०सी०एस-10366618	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	वकील मुखिया पिता- कुशेश्वर मुखिया ग्राम-बरसम पो०- बलही तेघरा थाना- बलवाहाट जिला- सहरसा एम०सी०एस-10369091	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	किरण देवी पति- सुरेश यादव ग्राम- मसौडा, पोस्ट- मसौडा थाना- नारदीगज जिला- नवादा एम०सी०एस-जी० 669/ 10346560	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

11	सुबोध कुमार पिता— उमानाथ साह ग्राम—मेजरगज पो0— मेजरगज थाना—मेजरगज जिला— सीतामढी एम0सी0एस—10367435	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
12	राधा देवी पति— कृष्णा सिंह ग्राम— महुली पो0— तैयार थाना— नेमदारगज जिला— नवादा एम0सी0एस—जी0 9406/ 10355297	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
13	ब्युटी कुमारी पिता—रामानंद कुशवाहा ग्राम— कधर पैली पो0— द्वाशय थाना— डडखोरा जिला— कटिहार एम0सी0एस— 10366049	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
14	छागो यादव पिता— गुमानी यादव ग्राम— लाल दरवाजा मिर्ची तालाव मुगेर पोस्ट— मुगेर थाना कोतवाली जिला मुगेर एम0सी0एस—एफ 88000	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
15	रेणु देवी पति— महेश्वर मिश्रा ग्राम—परसा बाजार खपरैलचक पोस्ट+थाना —परसा बाजार जिला— पटना एम0सी0एस—एफ 67089/ 10312981	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
16	अर्जुन प्रसाद पिता नन्दु लालग्राम— शेरपुर पो0— बिहारशरीफ थाना— लहेरी जिला— नालदा एम0सी0एस—10369019	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
17	सरिता देवी पति—राजेश साह ग्राम— कीरतपुर राजा राम पो0— भगवानपुर थाना— भगवानपुर जिला— वैशाली एम0सी0एस—एफ 10369028	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

18	अर्जुन बैठा पिता- छटु बैठा ग्राम- नोनेया मगल टोला पो0- नोनेया थाना- पहाडपुर जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10365689	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	इसरत जहाँ पति-मो0 सफीर आलम ग्राम- बसहिया शेख पोस्ट+थाना-पिपराही जिला- शिवहर एम0सी0एस-जी0 3146/ 10349037	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	अनोखी कुमारी पिता दिलिप कुमार दास ग्राम-सेनुअरिया पोस्ट- सेनुअरिया थाना- मझौलीया जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-10370451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	लखिया देवी पति- देवशरण पंडित ग्राम- एम0 कुआरी पो0- एम0 कुआरी थाना- दरियापुर जिला- सारण एम0सी0एस-10370599	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	सदाम हुसैन पिता- मो0 सलीम ग्राम- अरतिया पोस्ट- जोकीहाट थाना- जोकीहाट जिला- अररिया एम0सी0एस-10363318	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	रेणु देवी पति- सत्येन्द्र कुमार सिंह ग्राम-श्रीनगर पोस्ट-श्री नगर थाना- श्री नगर जिला- मधेपुरा एम0सी0एस-10369607	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	धनेश्वर मडल पिता- नेवा लाल मडल ग्राम-हटगाछी पो0-सौर बाजार थाना- बायसी जिला- पूर्णिया एम0सी0एस-10369329	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

25	निलम देवी पति— रामचलीतर साह ग्राम— हनुमान नगर पो0— भरवारी थाना— रोसडा जिला— समस्तीपुर एम0सी0एस—10370099	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
26	सदरूल हसन पिता— करीम बाक्स ग्राम— मेथुरापुर पो0—गराही थाना—जन्दाहा जिला— वैशाली एम0सी0एस—10369375	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
27	शिव कुमार पडित पिता— लक्ष्मण पडित ग्राम—हरही पो0— सिघपकला थाना— लदनियों जिला मधुबनी एम0सी0एस—एफ 69003 / 10314895	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
28	बाना देवी पति— देवेन्द्र साव ग्राम—बबुरा पो0+थाना— बबुरा जिला— भोजपुर एम0सी0एस—10370513	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
29	गायत्री देवी पति— नगीना यादव ग्राम— घुघरी टाड पो0— चौद चौरा थाना— विष्णुपद जिला— गया एम0सी0एस— जी0 9105	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
30	सोनी देवी पति— मुनारक बिन्द ग्राम— पसौढा पो0— माफी थाना— अरथावा जिला— नालदा एम0सी0एस—10369297	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
31	उमेश कुमार सिंह पिता— बिरदयानद यादव ग्राम—सोनी पो0— करमानी थाना—सझौली जिला— रोहतास एम0सी0एस—10367409	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

32	मो० अब्दुल्लाह सैफी पिता- सहीद मिया ग्राम- महुआवा मदरसा पो०- बिशनपुरा थाना- नौतन जिला प० चम्पारण एम०सी०एस-10364472	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
33	विष्णु रजक पिता- देव नारायण रजक ग्राम- मडेडा पो०- पोठिया थाना- सन्हौला जिला- भागलपुर एम०सी०एस-10369469	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
34	मुशीलाल महतो पिता- दसई महतो ग्राम-अजनी पो०- अजनी थाना-परसा जिला- सारण एम०सी०एस-10368184	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
35	मुन्द्रिका राम पिता- चन्द्रिका राम ग्राम- हासापुर पो०- हासापुर थाना- नरहट जिला- नवादा एम०सी०एस-10368362	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
36	जमील अख्तर पिता- नसीरुद्दीन ग्राम- सरडा पोस्ट- बहादुरगज थाना- बहादुरगज जिला- किशनगज एम०सी०एस-10369978	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
37	रामचन्द्र भगत पिता- जगरनाथ भगत ग्राम- छातापुर पोस्ट- सुरपतगज थाना- छातापुर जिला- सुपौल एम०सी०एस-जी० 13130 / 10359021	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
38	जुली कुमारी पिता- मटु कुमार ग्राम- मुशहरी पोस्ट- विस्तीपुर थाना- चडी जिला नालदा एम०सी०एस-10370494	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।

39	विनोद कुमार पिता— प्रभु पासवान ग्राम—रूपनारायणपुर पो0—नेकनामपुर थाना— देवरिया जिला— मुजफ्फरपुर एम0सी0एस—10367355	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	शिव कुमारी देवी पति— रमेश सहनी ग्राम— पहेतिया पो0— धरहरा थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली एम0सी0एस—10368427	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	अनवरी खातुन पति— मो0 सफीर ग्राम— लालु टोला वार्ड 4 पो0— सितनाबाद थाना— सिमरी बख्तियारपुर जिला— सहरसा एम0सी0एस—10368733	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	नेहा कुमारी पिता— प्रकाश कुमार ग्राम—चतरापट्टी पो0—नरहिया थाना— नरहिया जिला—मधुबनी एम0सी0एस—10370249	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	शैलेन्द्र सिंह पिता— राम दयाल सिंह ग्राम— सुहई गाजन पो0— सुहई शाहपुर थाना— बनियापुर जिला—सारण एम0सी0एस—10369677	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	शम्भु प्रसाद साह पिता— राम प्रसाद साह ग्राम—सीमानपुर पो0— सादीपुर थाना— पीरपैती जिला— भागलपुर एम0सी0एस—10363523	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	रामश्रेष्ठ महतो पिता— महेन्द्र महतो ग्राम—बिशनपुर पो0—अररिया थाना— कन्हौली जिला— सीतामढी एम0सी0एस—10369755	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

46	रजीत कुमार पासवान पिता- कपिलदेव पासवान ग्राम- सोमनाहा पो0- सोमनाहा मर्जानगर थाना- चकमहेसी जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-10368810	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
47	बिन्दा देवी पति- कृष्ण कुमार राय ग्राम- शकरपुर पो0- बरदाहा थाना- आसॉव जिला- सीवान एम0सी0एस-10364977	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
48	ब्रहानन्द आचार्य पिता-उमाकान्त आचार्य ग्राम- बलिया पो0- अफजला थाना- बिरौल जिला दरभंगा एम0सी0एस-10370206	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
49	बिक्रम कुमार पति- प्रदीप शर्मा ग्राम- रघुनाथपुर पो0- रघुनाथपुर थाना- भरगामा जिला- अररिया एम0सी0एस-10369422	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
50	अकज यादव पिता-स्व0 भरत यादव ग्राम+पो0- रामचन्द्रपुर इटहरी थाना- अमरपुर जिला- बाका एम0सी0एस- 10364851	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
51	शम्भु कुमार पिता- श्याम सुन्दर महतो ग्राम- बाउघाट पो0- भदौसी थाना-बाउघाट जिला- शेखपुरा एम0सी0एस-एफ 44695/ 10290587	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
52	मो0 अनवारूल पिता- मो0 हबीब ग्राम- मकेली पो0- मकेली बेलगाछी थाना- डगरुआ जिला- पूर्णिया एम0सी0एस- 10367066	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।

53	माला सिंह पति— ब्रज भुषण सिंह ग्राम— बाजितपुर पो0— गौरा थाना—गौरा बाजार जिला— सारण एम0सी0एस—एफ 37472/ 10283364	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	निशा खातुन पिता— मो0 समसुल हक ग्राम—जियन खुर्द पो0—ऐमा बिशनपुर थाना—करजा जिला— मुजफ्फरपुर एम0सी0एस—ई0 65212	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	द्वारिका दास पिता— जुगुल दास ग्राम— रघुनाथपुर पो0— कनार हरिहरपुर थाना खैरा जिला सारण एम0सी0एस—ई0 76917	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	रौशन कुमार पिता— रजन चौधरी ग्राम— बादीपुर पो0— चिरौटा थाना— नौबतपुर जिला पटना एमसी0एस—10369376	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	पिन्टु कुमार सहनी पिता— महेन्द्र सहनी ग्राम—खाडपर पो0— कवादपुर थाना— सूर्यगढा जिला— लखीसराय एमसी0एस—10370826	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	सिन्धु देवी पति— रजय कुमार ग्राम— कामता पो0— कामता थाना—हिलसा जिला नालदा एमसी0एस— 10368903	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	जेतन निशा पति— मोफिज ग्राम— चकला घाट पो0— चकला घाट थाना+जिला किशनगज एमसी0एस—डी0 94817/ 10140711	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

60	सुलेखा कुमारी पति- राज किशोर प्रसाद ग्राम- मई पो0- मई थाना- हिलसा जिला नालन्दा एमसी0एस-एफ 60817 / 10306709	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
61	बीबी नुरजा पति- बहार उद्दीन ग्राम- कुजरी पो0- कुजरी घाट थाना- पलासी जिला- अररिया एमसी0एस-10370640	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
62	गीता देवी पति- नरेश राम ग्राम- चक बिन्दा नियर हनुमान मदिर पो0- अनिसाबाद थाना गर्दनीबाग जिला- पटना एमसी0एस- 10367590	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
63	चदन सहनी पिता- रविन्द्र सहनी ग्राम+पो0 जोकीया थाना- भगवानपुर जिला बेगुसराय एमसी0एस- 10365222	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
64	चनिया देवी पति- राज कुमार मुखिया ग्राम-कोहरी वार्ड 8 पो0- भटवन थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर एमसी0एस-बी0 7470	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
65	सुमित्रा देवी पति- ग्रीश प्रसाद दिवाकर ग्राम- रूपसपुर पोस्ट- अलीपुर थाना- बुनियादगज जिला- गया एमसी0एस- 10367770	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
66	अमर कुमार पिता- दिनेश्वर ठाकुर ग्राम+पो0- तारा धमौन थाना- शाहपुर पटोरी जिला समस्तीपुर एमसी0एस-जी0 9119 / 10355010	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।

67	भोला राय पिता—दुखन राय ग्राम— जितवारपुर भुस्खारा पो0— इन्द्रवारा थाना— ताजपुर जिला— समस्तीपुर एमसी0एस—10360859	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	कुती देवी पति— श्याम पासवान ग्राम— सैदाबाद पो0— सिकटी थाना सिकटी जिला— अररिया एमसी0एस— 10369929	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	मीणा देवी पति— सुरेन्द्र महतो ग्राम+पो0— मुशहरनियों थाना— सोनवर्षा जिला सीतामढी एम0सी0एस— 10369108	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	विजय कुमार राम पिता— किशोरी राम ग्राम— तियरा पो0— मनोहरपुर थाना— राजपुर जिला—बक्सर एमसी0एस—10371190	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	नाजो खातुन पति— मो0 मुस्तकीम ग्राम— पिपरा देवस पो0— पिपरा देवस थाना— बरौनी पी0एस0 जिला— वेगुसराय एमसी0एस—जी0 11802 / 10357693	बोन मैरो ट्रास्प्लान्ट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
72	रेखा देवी पति— विनय कुमार ग्राम— सरैया पो0— सरैया थाना— दरियापुर जिला— सारण एमसी0एस—10363047	बोन मैरो ट्रास्प्लान्ट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
73	सागर कुमार पिता— लखी साह ग्राम— प्रवैजाबाद पो0— सोनपुर थाना— सोनपुर जिला— सारण एमसी0एस—10367757	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

74	मजु देवी पति- गंगा सागर राय ग्राम- पहलेजा साहपुर दियारा पो0- सोनपुर थाना- सोनपुर जिला- सारण एमसी0एस- 10333647 / एफ 87755	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
75	जय राम सिंह पिता- रामाश्रय सिंह ग्राम- ओलीपुर पो0- चिकसी थाना- सिगौरी जिला- पटना एमसी0एस-10367922	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
76	रीता देवी पति- राजेन्द्र प्रसाद ग्राम- दुलारपुर पोस्ट- लखनपार थाना- पुनपुन जिला- पटना एमसी0एस-10307852 / एफ 61960	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
77	मास्टर जीतु कुमार पिता- आशुतोष कुमार ग्राम- मुस्तफापुर पो0- कटेसर थाना- बिहटा जिला- पटना एमसी0एस-10370198	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
78	रजु कुमारी पति- सतीश कुमार सिंह ग्राम- पचाई वार्ड 6 पोस्ट- बसरा थाना- राजापाकर जिला- वैशाली एमसी0एस- 10371027	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
79	बजरगी कुमार झा पिता- राम जतन झा ग्राम- लढौना पोस्ट- बिजुलिया थाना- साम्हो अकहा कुरहा जिला- बेगुसराय एमसी0एस- 10365701	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।

80	कामेश्वर साह पिता- भुवन साह ग्राम- नागराज पो- इसुआपुर थाना- इसुआपुर जिला- सारण एमसी0एस-10365467	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	सरिता देवी पति-अजय कुमार गोड ग्राम- दलेलगज पो- सासाराम थाना- सासाराम जिला- रोहतास एम0सी0एस-10369678	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
82	कचन देवी पति- अर्जुन रजक ग्राम- रामापुर पोस्ट- रतनपुर थाना- आरा जिला- भोजपुर एमसी0एस-10366266	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	दिलशाद पिता- जलील ग्राम- साहेबगज पो- नरपतगज थाना नरपतगज जिला- अररिया एमसी0एस-10369862	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	दिनेश कुमार साह पिता- ध्रुपजी साह ग्राम- भागर पो- भागर थाना- सिसवन जिला- सीवान एमसी0एस- 10367547	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	साबरा खातुन पति- मोहम्मद युसुफ ग्राम- वाकरगज मोहरमपुर चमय पासी गली, पो-बाकीपुर थाना-पीरबहोर जिला- पटना एमसी0एस- 10367644	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	महेन्द्र सिंह पिता- ईश्वर सिंह ग्राम- मानसी जाग्रति टोला पोस्ट-मानसी थाना- मानसी जिला- खगडिया एमसी0एस- 10370224	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

87	सोनामती देवी पति- राजदेव प्रसाद सिंह ग्राम- झिटकौरिया पोस्ट- बेरका थाना- मखदुमपुर जिला जहानाबाद एमसी0एस- 10370168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	सपना कुमारी पिता आशुतोष कुमार भार्गव ग्राम-श्रीपुर पो0- श्रीपुर थाना- किशनपुर जिला- सुपौल एमसी0एस- 10369225	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
89	पहलाद कुमार पिता- गोविन्द यादव ग्राम- बेनीगज पोस्ट- अरथावा थाना- करडे जिला- शेखपुरा एमसी0एस- जी0 13181 / 10359072	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	हसीन मिया पति- सलीम मिया ग्राम- कराय लहसुना पो0- लहसुना थाना- मसौढी जिला- पटना एमसी0एस- 10370727	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	मीना शर्मा पति- सुमन शर्मा ग्राम+पो-बडहिया थाना- बडहिया जिला- लखीसराय एमसी0एस-10370598	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	पानपती देवी पति- शिव वचन यादव ग्राम- सुरजमल बिगहा पो0- कुर्था थाना- बशी ओ0पी0 जिला- अरवल एमसी0एस- 10370141	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	सगीता देवी पति- राजा हाजरा ग्राम- बजराहा पट्टी पो0- सुतिहार थाना- दरियापुर जिला- सारण एमसी0एस- 10368392	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

94	आशा देवी पति— अशोक कुमार शर्मा ग्राम— हेलालपुर पोस्ट— इब्राहीमपुर थाना—किजर जिला— अरवल एमसी0एस— 10370788	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	रणवीर कुमार चौधरी पिता— सजय चौधरी ग्राम—मीठापुर पोस्ट—सुधानी थाना— बारसोई जिला कटिहार एमसी0एस— 10368085	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
96	पुनम देवी पति— दिलिप साह ग्राम+पो0—पालीगज थाना— पालीगज जिला— पटना एमसी0एस— 10349768/जी0 3877	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	मीरा देवी पति— रवि शकर सिंह ग्राम— नसरतपुर पो0— नसरतपुर थाना— सदेश जिला— भोजपुर एमसी0एस— 10370118	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	सीता देवी पति— ब्यास प्रसाद ग्राम— कटेया पो0— कटेया थाना—कटेया जिला— गोपालगज एमसी0एस— 10370026	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	रेणु देवी पति— अभिमन्यु सिंह ग्राम— हरिपुर पोस्ट—फुदकीचक थाना— गोगरी जिला— खगडिया एमसी0एस— 10370072	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	राम विलास यादव पिता— बच्चा यादव ग्राम— बगुलवा पो0— गाढा थाना— लदनियों जिला मधुबनी एमसी0एस— 10369982	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

101	लालसा देवी पति- मुन्ना राय ग्राम- बरियारपुर पो0+थाना- भेल्दी जिला- सारण एमसी0एस- 10369149	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	छोटी कुमारी पिता मनोज भगत ग्राम-ठाढा पोस्ट- हरदा थाना- सहायक मरगा जिला- पूर्णिया एमसी0एस- ई0 34236 / 10180129	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
103	बबिता देवी पति- सजय महतो ग्राम- नागर बस्ती पोस्ट- बेगमपुर थाना- वारिस नगर जिला- समस्तीपुर एमसी0एस- 10340030	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
104	अफसाना खातुन पति- मो0 इम्तेयाज ग्राम- गोपालपुर पो0- महरथा थाना-पानापुर जिला- मुजफ्फरपुर एमसी0एस- एफ 54962 / 10300854	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
105	विजय राम पिता- लक्ष्मी राम ग्राम-सेम्हली पो0- साहरघाट थाना- खिरहर जिला- मधुबनी एमसी0एस- एफ 86673 / 10332565	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	सजय ठाकुर पिता- ब्रदी ठाकुर ग्राम-जाफरपुर पोस्ट- माधोपुर थाना- दानापुर जिला- पटना एमसी0एस- एफ 49247	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
107	कोसिला देवी पति- शम्भू राय ग्राम- सोरहत्था पो0- बीबीपुर थाना- बेलसर जिला- वैशाली एमसीएस न0- 10363220	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

108	विमला देवी पति- विनय कुमार ग्राम+पो- केशोपुर थाना- हिलसा जिला- नालदा एमसीएस न०- ई 75988/ 10221881	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 89,70,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 89,70,000/- (नवासी लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 000883 द्वारा आहारेत कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी०जी०) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
5. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

26/12/14

पटना, दिनांक

23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सतान्न चेक सं 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई की मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

राजेश्वर अस्पताल,

नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,

ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **16.09.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विनय कुमार गौधी पिता— शिव नारायण प्रसाद ग्राम— स्टेशन रोड नवादा पो0+थाना— नवादा जिला— नवादा	ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत।
			2,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **000883** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 1499002109000623 खाता धारक का नाम—“राजेश्वर अस्पताल” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० PUNBO149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी०

आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

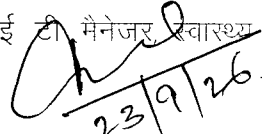
ज्ञापाक 2613 (14)

पटना, दिनांक

23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


23/9/26.
निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रेणु देवी पति- दिलीप कुमार ग्राम- सुल्तानपुर देवी चौरा गली दानापुर पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना रजि न०- 3000522056	किडनी रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अशोक राम पिता- रतन राम ग्राम- मोहनपुर वार्ड 04 पो०- सरबेला थाना- बनामा इटहरी जिला- सहरसा यूएचआईडी न०- 3000651871	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रफत पति- सलाहुद्दीन ग्राम- सतबिटा पो०- अररिया बैरगाछी थाना- जोकिहाट जिला- अररिया यूएचआईडी न०- 3000624388	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	शैमून बेगम पति- हयात मोहम्मद ग्राम- लक्ष्मपुर पो०- जाकिया थाना- आरा मुफ्फसिल जिला- भोजपुर यूएचआईडी न०- 3000642790	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अजू कुमारी पति- अजीत कुमार ग्राम- चकदारिया सुल्तानपुर पो0- गोबिदचक थाना- सोनपुर जिला- सारण यूएचआईडी न0- 3000653542	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	रौशन कुमार पिता- राजद्र प्रसाद यादव ग्राम- अजगैबा वार्ड 07 पो0- अजगैबा थाना- सौरबाजार जिला- सहरसा यूएचआईडी न0- 3000636756	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	बूदा पाडेय पिता- रामसहाय पाडेय ग्राम- नीमा वार्ड 03 पो0- पुरहारा थाना- चौरी जिला- भोजपुर यूएचआईडी न0- 3000621085	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	मनीष कुमार पिता- अनिल कुमार साह ग्राम- बगहा निजामत वार्ड 16 पो0+थाना- थावे जिला- गोपालगज रजि न0- 3000646983	टोटल नी रिप्लेसमेट (युनिलेटरल)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत ।
9	गोपाल मिश्र पिता- रामप्रसाद मिश्र ग्राम+पो0- महिनाम थाना- बहेडा जिला- दरभंगा रजि न0- 3000647804	टोटल नी रिप्लेसमेट (युनिलेटरल)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत ।
10	उमेश कुमार राय पिता- योगेद्र राय ग्राम- पकवालिया वार्ड 03 पो0- गोरईपुर थाना- अवतारनगर जिला- सारण यूएचआईडी न0- 3000647358	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
11	किरण देवी पति- लाल बाबू प्रसाद ग्राम- जमुनिया वार्ड 09 पो0- सलेहपुर थाना- विश्वम्भरपुर जिला- गोपालगज यूएचआईडी न0- 3000364341	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
12	चद्र किशोर चौधरी पिता- शिव नारायण चौधरी ग्राम+पो0- बेलवारा थाना- कनरिया जिला- सहरसा यूएचआईडी न0- 3000910570	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

13	धनावती देवी पति— सतीश यादव ग्राम— चुरामनपुर वार्ड 08 पो0— चुरामनपुर थाना— औधेगिक जिला— बक्सर यूएचआईडी न0— 3000324382	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	गिरिजा देवी पति— स्व0 बबन यादव ग्राम+पो0— बडका राजपुर थाना— तिलक राय के हाता जिला— बक्सर रजि न0— 3000656266	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	बेबी देवी पति— तूफानी शर्मा ग्राम+पो0— झझारा थाना— परसराहा जिला— खगडिया यूएचआईडी न0— 3000388732	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मनटुन राय पिता— चद्रशेखर राय ग्राम+पो0— देवकुलीधाम थाना— बिरौल जिला— दरभंगा यूएचआईडी न0— 3000572159	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	दीपू कुमार पिता— रामबाबू प्रसाद ग्राम— किला रोड झाऊगज पटना सिटी पो0— झाऊगज थाना— चौक जिला— पटना यूएचआईडी न0— 3000551276	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	शैलेश कुमार झा पिता— मधुकात झा ग्राम+पो0— बलाहा थाना— भवानीपुर जिला— भागलपुर यूएचआईडी न0— 3000650399	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	बिरेन्द्र पासवान पिता— मनकमन पासवान ग्राम— कोपा वार्ड 10 पो0— सिघाडा थाना— दुल्हिन बाजार जिला— पटना यूएचआईडी न0— 3000647786	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	पिकी देवी पति— मुकेश यादव ग्राम— धोबिया पो0— अहिरो थाना— धोरैया जिला— बाका यूएचआईडी न0— 3000654512	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

21	कुमारी मुक्ता पति- अशोक कुमार चौधरी ग्राम- रामपुर चकलाला पो0+थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली यूएचआईडी न0- 3000659097	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
22	सतोष कुमार सिंह पिता- समता प्रसाद सिंह ग्राम- उदयभानपुर वार्ड 04 पो0- बसतपुर थाना- कृष्णागढ़ जिला- भोजपुर यूएचआईडी न0- 3000630241	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
23	खेरून निशा पति- अताबुर रहमान ग्राम- खोरबारी मटकोपा वार्ड 03 पो0- मटकोपा थाना- कसबा जिला- पुर्णिया यूएचआईडी न0- 3000644440	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
24	कौमल सिंह पिता- सुखदेव सिंह ग्राम- अस्लानपुर कुटिया वार्ड 03 पो0- सकरी चौकी थाना- अरवल जिला- अरवल यूएचआईडी न0- 3000645348	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
25	मौसम देवी पति-सजय सिंह ग्राम-मोआप कला पो0- मोआम कला थाना- ईमादपुर जिला- भोजपुर यू0एचआईडी-3000622644	Severe Aplastic Anemia	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
26	ललन प्रसाद पिता-भगवान प्रसाद ग्राम-चमडीह पो0- चाकद थाना- चाकद जिला- गया यू0एचआईडी-3000632196	Severe Aplastic Anemia	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
27	निशा कुमारी पिता-राजेन्द्र सिंह ग्राम- अकलुचक नियर वास्तु विहार फेज-3 पो0- जमसौत थाना- साहपुर जिला- पटना यू0एच0आईडी-3000644083	Severe Aplastic Anemia	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			21,10,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 21,10,000/- (इक्कीस लाख दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष,

खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000883.

द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16498260000011 खाता धारक का नाम—पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम—एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम—AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०— HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

जापाक 26/4(14)

पटना, दिनांक 23/9/2024

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
सरार्फ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी0एम0सी0एच0 लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

गहाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- **16.09.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भुनेश्वर मुखिया पिता- बाजपाई मुखिया ग्राम+पो0- बाघनत थाना- मनगाछी जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 पी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-38022630797 खाता धारक का नाम-सरार्फ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

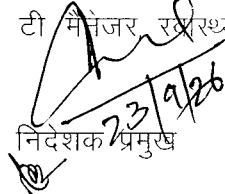
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 26/5(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अन्तरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **16.09.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनिल कुमार पिता- कृष्णा प्रसाद ग्राम-समाचक पो0+थाना- बरबीघा जिला- शेखपुरा	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	सुनीता कुमारी पति- विकाश कुमार ग्राम- नई नईयावा पो0- रईमा थाना- तेलहारा जिला- नालदा	हृदय रोग एएसडी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सोनेलाल टुडू पिता- अशोक टुडू ग्राम- तिनकोनमा पो0- हरिपुरकला थाना- मुरलीगज जिला- मधेपुरा	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	बैजनाथ साव पिता- नथुनी साव ग्राम- नियर डी0ई0व पब्लिक स्कूल पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	Left Lower Limb Pain. Generalised Weakness T2DM	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			5,55,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,55,000/- (पाँच लाख पचपन हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्राच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/II SC कोड सं SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 26/6 (14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी सबधित मरीजों का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शहनाज बानो पति- मो० मुस्लिम ग्राम- ताज बैड सुल्तानगंज पो०- महेदू थाना- सल्तानगंज जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी (CAG)	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा पिता- सतोषी प्रसाद सिन्हा ग्राम- अराई केसोपुर पो०- अराई थाना- अतरी जिला- गयाजी	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सगीता देवी पति- शिवेद्र सिंह ग्राम- जमुनापुर पो०- अलावलपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना	हृदय रोग एमवीआर	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	मजू देवी पति- सुदामा सिंह ग्राम- मधुरापुर पो०- बाकरपुर जगत थाना- पीपरा जिला- पूर्वी चम्पारण	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	आशुतोष कुमार पिता- अमरेद्र प्रसाद ग्राम- उस्मानपुर पो०- तीना थाना- नगरनौसा जिला- नालदा	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

6	कृपाल राम पिता- राम जतन राम ग्राम+पो0- सिरणवा थाना- वेना जिला- नालदा	हृदय रोग एवीआर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रेखा देवी पति- देवेन्द्र मिस्त्री ग्राम- छोटकी मसौड़ी पो0+थाना- मसौड़ी जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			5,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु0 5,35,000/- (पाँच लाख पैंतीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सर्वाधिक मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 26/7(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पूजा कुमारी पिता- शम्भू प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- औगारी जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अरविन्द कुमार चौधरी पिता- ललन चौधरी ग्राम- खोरमपुर पो0+थाना- हिलसा जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			1,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड स0- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अव्यवहित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 26/8(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक का कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी० मैजिस्टर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेरा कैसर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रमोद राम पिता- दाहू राम ग्राम- सिपाह पो०- राणा बीघा थाना- दीपनगर जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अनीता देवी पति- जीतेन्द्र कुमार ग्राम- रिकाबगज पो०- टिकारी थाना- टिकारी जिला- गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	उर्मिला देवी पति- राम बहादुर महतो ग्राम- सिरोपट्टी पो०- इमासनगर थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	इंदु देवी पति- सतोष कुमार चौधरी ग्राम+पो०- चकमारुफ थाना- बेलसर ओपी जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	महेश सहनी पिता— हरिहर सहनी ग्राम— बसता जहानाबाद पो0+थाना— लालगज जिला— वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	रेणु कुमारी शर्मा पति— सत्येन्द्र कुमार शर्मा ग्राम— रामनगर मरकट्टा पो0+थाना— गिरियक जिला— नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मो0 मुस्तफा असारी पिता— मुलाजिम असारी ग्राम— रामपुर पो0— सरसर थाना— सिवान मुफसिल जिला— सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	बिंदु देवी पति— मणि शंकर कुमार ग्राम— आदर्श बिहार रोड न0 01 रामकृष्णा नगर वार्ड 30 पो0— न्यू जगनपुरा थाना— रामकृष्णा नगर जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	महावीर सिंह पिता— स्व0 तेतर सिंह ग्राम+पो0— अम्बा थाना— अलौली जिला— खगडिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			7,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,20,000/- (सात लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 001883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0— 440720110000498 खाता धारक का नाम— Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सर्वाधिक मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2619 (14)

पटना, दिनांक

23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिनोद कुमार सिंह पिता— स्व० हरिनारायण सिंह ग्राम— चन्दुआरा पो०— जट डुमरी थाना— पुनपुन जिला— पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 010883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— इंडियन बैंक, शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गतात प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2620(14)

पटना, दिनांक

23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, राखित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— **16.09.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	निशा आजमी पति— महमूद हस्सन ग्राम— कन्हौली बिशुनदत्त पो०— आर के आश्रम थाना— मिठनपुरा जिला— मुजफ्फरपुर	टोटल नी रिफ्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मो० अनवर युसूफ पिता— जमाल युसूफ ग्राम— दुजरा नियर गाँधी मूर्ति पो०— जी०पी०ओ० थाना— बुद्धा कॉलोनी जिला— पटना	टोटल नी रिफ्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	त्रिफुल देवी पति— बालेश्वर यादव ग्राम पो०— फुलकाहा थाना— गम्हरिया जिला— मधेपुरा	टोटल नी रिफ्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	भवानी देवी पति— प्रशांत कुमार ग्राम— हेमराजपुर पो०— कामदेवपुर थाना— अमरपुर जिला— बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स0- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2621(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई बी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/26
निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनिल पासवान पिता- राजेद्र पासवान ग्राम+पो0- सुल्तानपुर थाना- देसरी जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	विराज कुमार पिता- राजीव कुमार ग्राम- हरिजन कॉलोनी मंगल तालाब पो0- पटना सिटी थाना- चौक थाना जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	लाल मुणि देवी पति- सलेद्र दास ग्राम+पो0- सुगाव थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	निखिल कुमार पिता- सुनील राम ग्राम+पो0- फतेहपुर थाना- दीदारगज जिला- पटना	दुर्घटना/ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	लाल बाबु प्रसाद पिता- प्रहलाद प्रसाद ग्राम- जीजस एनड मेरी एकेडमी कैमाशिको नगला पो0- झाऊगज थाना- चौक जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			3,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0— 33569032861 खाता धारक का नाम—“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल “ खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम —गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड स0 SBIN 0001496 मे अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2622(14)

पटना, दिनांक

23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक स0.000883 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी सवधित मरीजों के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

मेडिवर्सल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल,

(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)

डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,

कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनिकेत कुमार पिता- बरून सिंह ग्राम+पो०- बसतपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	ब्रेन सर्जरी (न्यूरो)	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			60,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 100883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-00030400000914 खाता धारक का नाम-“Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड स० BARBOPATNAX में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।



5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

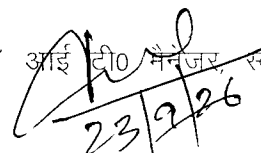
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2623(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


23/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एशियन सिटी अस्पताल
पी० एम मॉल, पाटलीपुत्रा
इंडस्ट्रीयल ऐरिया
पटना 800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुकेश कुमार पिता— स्व० सुरेश प्रसाद ठाकुर ग्राम— इछपुरी रोड न० 1 हाउस न० 24 पो०— केशरी नगर थाना— पाटलीपुत्रा जिला— पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०—020384600000324 खाता धारक का नाम BLUE SAPPHIRE HEALTH CARES PVT.LTD. Payable at Patna खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— YES BANK शाखा का नाम यश बैंक लि०, ग्राउंड फ्लोर ए-11/33 अलकार सिनेमा रोड, लाजपत नगर—II नई दिल्ली—110024 RTGS/IFSC कोड स० YESB0000203 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

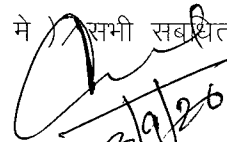
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2624(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/9/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय सिंह पिता- कामेश्वर सिंह ग्राम- बरेव पो०+थाना- नेमदारगज जिला- नवादा	हृदय रोग पीटीसीए + स्टेन्टिंग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	उषा देवी पति- सुरेन्द्र झा ग्राम+पो०+थाना- घनश्यामपुर जिला- दरभंगा	हृदय रोग पीटीसीए + स्टेन्टिंग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	रविता तिवारी पति- भगवान तिवारी ग्राम- बनकट्टी उत्तर पो०- महुआ थाना- बैकुण्ठपुर जिला- गोपालगंज	हृदय रोग पीटीसीए + स्टेन्टिंग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			2,55,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2.55,000/- (दो लाख पचपन हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम .RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

3. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2625(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई की मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सेंटर फार साईट ए/31
पी०सी० कोलनी कंकडबाग
बिहाईड ग्रेवीटी माल
नियर ओल्ड तिवारी बेचर
पटना 800020

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमित रजन पिता- अवधेश सिंह ग्राम- सिमरा वार्ड 02 पो०+थाना- परसा बाजार जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 13458640000270, खाता धारक का नाम- New Delhi Centre For Sight, Limited, खाते का प्रकार- CURRENT, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम/पता S-4 GREEN PARK EXTEN NEW DELHI - 110016, RIGS/IFSC कोड सं० HDFC0001345 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा - एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 26/26 (14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि चेक सं० 000883 .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

To,

Date: 15th September, 2026

The Director-in- chief,
Health Services, Bihar, Patna

Subject: Regarding medical grant from the "Chief Minister's Medical Assistance Fund."

Sir/Madam,

This is to certify that Mr. Amit Ranjan (MRD No. PTN.63704) is undergoing treatment at Centre For Sight, under Dr. Richa Ranjan, MBBS, DOMS, DNB, FVRS, Vitreoretina & ROP

The patient requires Cataract Surgery and Ranizurel Injection. The estimated treatment cost is 61,214/-

As requested by the patient, we kindly request you to sanction the eligible medical assistance and credit the approved amount directly to the hospital's bank account

Kindly note that, DD/Cheque/RTGS Should be made in favor of New Delhi Centre for Sight Limited.

Account Name	New Delhi Centre For Sight, Limited		
Account Number	13458640000270		
BANK NAME	HDFC BANK	BRANCH ADDRESS	S-4 GREEN PARK EXTEN NEW DELHI – 110016
IFSC CODE	HDFC0001345	ACCOUNT TYPE	CURRENT

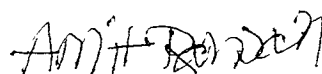
Thanks you to your kind consideration.

Thanking You.



Centre For Sight,

Kankarbagh, Patna-20



Patient Signature

CIN. U85120MH2002PLC338742

CENTRE FOR SIGHT - PATNA

(A Unit of New Delhi Centre For Sight Ltd.)

A-31, P C. Colony, Kankarbagh, Behind Gravity Mall Near Old Tiwa, Secnar Petrol Pump, Patna - 800020

Registered Office: Rushabh, 18th Road, Near Ambedkar Garden Chembur, Mumbai - 400 071. Maharashtra

Head Office: Plot No. 9, Sector - 9, Dwarka, New Delhi-110077 | Tel: 1806-1200-477 | Website: www.centreforsight.net

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

दिनांक

प्राप्त (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

संलग्न

शुभल दास
पिता- दिलीप कुमार दास
ग्राम- विवेकानंद कॉलोनी नेताजी चौक
पो- भट्टा बाजार
थाना- सहायक खजाची
जिला- पूर्णियाँ
पिन कोड 854301

पटना दिनांक

व्यय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

विवरण

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 16.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शुभल दास पिता- दिलीप कुमार दास ग्राम- विवेकानंद कॉलोनी नेताजी चौक पो- भट्टा बाजार थाना- सहायक खजाची जिला- पूर्णियाँ पिन कोड 854301	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु0 1,08,000/-	

आनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक 000883 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं- 33359237982, खाता धारक का नाम- Mr. ATUL DAS, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK CURRENT बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PURNEA BAZAR BRACHA BAZAR, IFSC कोड सं- SBIN0001236 में अंतरित किया जाता है।

सावधानी देया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी अन्य राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2631(14)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए सलग्न चेक सं० 000883 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित अंक में दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आदेशित पत्र, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


23/9/2026
निदेशक, दम.

Generally used abbreviations

A/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
Adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o=Son/Daughter/Wife/Husband of
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
cash = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal=total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक



State Bank of India

HELPLINE : 1800-11-22-11 | 1800-425-3800

शाखा प्रबंधक
Branch Manager

[Handwritten signature]
31/11